न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 —129 / 2019

अनवान : —

1. रमेश कुमार पुत्र रणधीर सिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. रणधीर सिंह पुत्र लखमीचन्द जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. सन्तोष पुत्री रणधीर सिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3. सुमन पुत्री रणधीर सिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
4. सरिता पुत्री रणधीर सिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री नरेन्द्र शर्मा वादी
श्री जयकिशन गोदारा प्रतिवादीगण

दिनांक: 20/10/2020

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम डाबडी के खाता स0 204 / 186 के खसरा सं 2 की 7.4000है0 खसरा स0 21 / 1 की 3.7950है0 खसरा सं0 104 की 1.5180है0 खसरा सं0 118 की 10.1710है0 खसरा सं0 119 की 0.7590है0 कुल 23. 6430है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 रणधीर सिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है। उपर वर्णित कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि पहले वादी के दादा लक्ष्मीचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। लक्ष्मीचन्द के देहान्त के बाद वाद भूमि विरासतन प्रतिवादी सं 1 रणधीर सिंह ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली। वाद भूमि पैतृक सम्पति है अतः वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के काश्तकार है। वाद भूमि महज कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं 1 रणधीर सिंह के नाम विरासतन दर्ज हो गई। वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। अतः वादी के हकों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। वादी को वाद भूमि की घोषणा कराने का कानूनी अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:41 IST
Reason: SelfAttested

वादी अपने हक हिस्से की भूमि को समतल, उपजाउ करवाना चाहता है जिसके लिए उसे ऋण केसीसी आदि की आवश्यकता होती है। वादी ने प्रतिवादीगण को

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा

Scanned with CamScanner

...मे अपने हक अधिकारों की घोषणा करवाने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड ... करवाने के लिए कहा तो वह ऐसा मानने से साफ इन्कार हो गया। लिहाजा यही ... मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। तथा प्रतिवादी 5 द्वारा जवाब पेश किया गया। चूकिं उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए पत्रावली में साक्ष्य पेंश किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी रमेश कुमार पुत्र रणधीर सिंह के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में प्रस्तुत सत्यप्रतिलिपी वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जमाबंदी खाता सं 204/186 प्रदर्श 2 व जमाबंदी भू प्रबंधक विभाग प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा ग्राम डाबडी के खाता स0 204/186 के खसरा सं 2 की 7.4000है0 खसरा स0 21/1 की 3.7950है0 खसरा सं0 104 की 1.5180है0 खसरा सं0 118 की 10.1710है0 खसरा सं0 119 की 0.7590है0 कुल 23.6430है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 रणधीर सिह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत सत्यप्रतिलिपी वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जमाबंदी खाता सं 204/186 प्रदर्श 2 व जमाबंदी भू प्रबंधक विभाग प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें। जिसमें वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में प्रतिवादी सं 1 रणधीर सिंह के एक पुत्र रमेंश कुमार व 3 पुत्रीयां सन्तोष, सुमन व सरिता तथा इनकें अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वाद भूमि में से प्रतिवादी सं 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है जिसे राजीनामा में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 को बहिस्सा बराबर के काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति ... स्वीकृत योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम डाबडी के खाता स0 204/186 के खसरा सं 2 की 7.4000है0 खसरा स0 21/1 की 3.7950है0 खसरा सं0 104 की 1.5180है0 खसरा सं0 118 की 10.1710है0 खसरा सं0 119 की 0.7590है0 कुल 23.6430है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 रणधीर सिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 रणधीर सिंह को बहिस्सा बराबर के काश्तकार घोषित किये जाते है।** चुंकि प्रतिवादी सं 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंयजीन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा वादी रमेश कुमार प्रतिवादी सं 1 रणधीर सिंह बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

वाद 129/2019

उनवान

1. रमेश कुमार पुत्र रणधीर सिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।

:–वादी

बनाम

1. रणधीर सिंह पुत्र लखमीचन्द जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. सन्तोष पुत्री रणधीर सिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3. सुमन पुत्री रणधीर सिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
4. सरिता पुत्री रणधीर सिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यानाराण सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा व वकील प्रतिवादी श्री जयकिशन गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम डाबडी के खाता स0 204/186 के खसरा सं 2 की 7.4000है0 खसरा स0 21/1 की 3.7950है0 खसरा सं0 104 की 1.5180है0 खसरा सं0 118 की 10.1710है0 खसरा सं0 119 की 0.7590है0 कुल 23.6430है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 रणधीर सिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 रणधीर सिंह को बहिस्सा बराबर के काश्तकार घोषित किये जाते है।** चुंकि प्रतिवादी सं 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंयजीन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा वादी रमेश कुमार प्रतिवादी सं 1 रणधीर सिंह बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक (सत्यनारायण)
फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner